न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 31/2018
RCMS Case No. 2018/00387

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 नरहरीदेव पुत्र श्री कृष्ण		तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन
2 वीरमदेव पुत्र नरहरीदेव जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन		

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 31.01.2019

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 315/2017 बअनवान सरकार बनाम नरहरीदेव में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का माण्डा द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम माण्डा के खसरा नम्बर 839 रकबा 0.0016 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट किसी भी रूप से राजकीय भूमि पर काबिज नहीं है, बल्कि जिस भूमि पर अपीलाण्ट काबिज है, वह भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिस पर दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया गया है। अपीलाण्ट उक्त भूमि को बाडे के रूप में उपयोग कर रहा है तथा निर्विवादित रूप से अपनी खातेदारी भूमि पर ही काबिज है। इसके बावजूद पटवारी हल्का द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि के सीमांकन एवं तरमीम करवाने का भी निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि के सीमांकन हेतु आदेश पारित किया गया, किन्तु टीम द्वारा कोई सीमांकन नहीं किया गया तथा न ही तरमीम की। इन तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि अपीलाण्ट राजकीय भूमि पर काबिज नहीं होकर अपनी खातेदारी भूमि पर

अति० जिला कलेक्टर, पाली

काबिज होने से प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही योग्य ही नहीं था। इस कारण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित जैर अपील आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम माण्डा के खसरा नमबर 839 रकबा 0.0016 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा कब्जा कर पक्का निर्माण करने के कारण पटवारी हल्का माण्डा द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य एतराज यह रहा कि अपीलाण्ट ने खसरा नम्बर 839 की भूमि को अपनी खातेदारी की होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को विधि विरूद्ध कथन किया एवं इसी क्रम में नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा। अपीलाण्ट के कथनों के परिप्रेक्ष्य में रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम माण्डा के खसरा नम्बर 839 रकबा 0.0016 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि न होकर सिवायचक भूमि है, जो खाता संख्या 1 में दर्ज है। अपीलाण्ट की सह खातेदारी के तौर पर खसरा नम्बर 1532/839 की भूमि है, जो खसरा नम्बर 839 से पृथक है। जहां तक उक्त आराजी की मौका स्थिति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का से मौका जांच रिपोर्ट तलब की है, जिसमें अपीलाण्ट का कब्जा सरकारी भूमि पर पाया गया है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा प्रकरण संख्या 315/2017 बअनवान सरकार बनाम नरहरीदेव में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली